



डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18-21)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0  
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 159/2023

दायर दिनांक 09/11/2023

शक्ति सिंह राजावत

बनाम

गोविन्दसिंह राजावत वगैराह

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश


दिनांक 24.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री दीपचन्द महावर अधिवक्ता वादी निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भानपुर खुर्द, पटवार हल्का गांवली, तहसील आंधी में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 305 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 306 रकबा 2.5300है0, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.2900है0, खसरा नम्बर 308 रकबा 1.9800है0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 4.8100है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से तथा कब्जा काश्त को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात् सरस-नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग-अलग रंग भरकर कुर्रजात के प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 24/06/2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ, जयपुर